

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 47(5) आयो./मूल्यां./1993

जयपुर, दिनांक: 7 OCT 2017

-: आज्ञा :-

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(16) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.07 एवं प. 12(6) वित्त/नियम/2010 दिनांक 18.05.2011 के अनुसार राजस्थान मूल्यांकन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इनकी जन्मतिथि कॉलम संख्या 4 में अंकित है और ये कॉलम संख्या 5 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं। इन अधिकारी को कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से एतद्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	60 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री कैलाशपति शर्मा	मूल्यांकन अधिकारी, निदेशालय मूल्यांकन संगठन, जयपुर	25.10.1957	24.10.2017	31.10.2017

कार्मिक (क-3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आदिनांक तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/एफ.आई.आर./शिकायत विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से

sd-

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना।
3. निदेशक, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, राज., जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स, कल्याण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. कम्प्यूटर सैल, आयोजना विभाग को वैबसाईट पर डालने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव